न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री के0 सी0 वर्मा आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 4/2018/अपील/आर्म्स/बांरा
दायरा दिनांक 2.7.2018
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

हरिसिंह पुत्र टोडिया उर्फ सोनिया जाति मोग्या निवासी मुण्डियर पुलिस थाना शाहबाद तह0 शाहबाद जिला बारां। ....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप खण्ड मजिस्ट्रेट शाहबाद जिला बांरा।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री राकेश सुवालूका अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 28.9.2018

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय उप खण्ड मजिस्ट्रेट शाहबाद जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश कमांक/आर्म्स/2017/820–21 दिनांक 27.4.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं lxx

1. प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 81 टोपीदार बन्दूक एक नाली नम्बर 43 के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहबाद के यहां प्रस्तुत किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 105/06 धारा 9/51 वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के अन्तर्गत चालान पेश किये जाने से अनुज्ञापत्रधारी का आपराधिक प्रवृति का होने से उक्त धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को आदेश कमांक/आर्म्स/2017/820–21 दिनांक 27.4.2017 से निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील धारा 18 आर्म्स एक्ट मे न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि थानाधिकारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर लाईसेन्स निरस्त किया गया है उल्लेखित उक्त प्रकरण मे अपीलार्थी को न्यायालय ए0सी0जे0एम0 शाहबाद द्वारा दिनांक 18.4.2014 को दोषमुक्त किया जा चुका है अन्य कोई प्रकरण अपीलार्थी के विरूद्ध जेरकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को साक्ष्य एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एक तरफा निर्णय पारित कर त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.4.2017 अपास्त किया जावे lxx
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई lxx
3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि थानाधिकारी द्वारा अंकित मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर लाईसेन्स को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान नही किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। एफआईआर नं0105/06 प्रकरण सं0 251/06 अन्तर्गत धारा 9/51 वन्य जीव सरक्षंण अधिनियम मे माननीय न्यायालय एसीजेएम शाहबाद ने दिनांक 18.4.22014 से अपीलार्थी को दोषमुक्त किया है निर्णय की प्रति अपील पत्रावली मे उपलब्ध जो अवलोकनीय है। अन्य कोई प्रकरण अपीलांट

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

के विरूद्ध विचाराधीन नही है अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नही है निर्णय निरस्त किया जावे। xx

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया। xx

5. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपील के साथ डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे अपीलाधीन आदेश की जानकारी उसके अधिवक्ता द्वारा बताने पर होना वर्णित करते हुये नकल प्राप्त कर अपील पेश करना वर्णित किया जाकर विलम्ब अवधि क्षम्य का अनुरोध किया गया। प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन नही किया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। माननीय न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजि0 शाहबाद द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण सं0 251/06 सरकार बनाम भूरा, माखनसिंह, हरिसिंह अपराध अन्तर्गत धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एफआईआर सं0 105/06 मे दिनांक 18.4.2014 को पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है तथा प्रकरण मे जप्त शुदा चाकू बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट करने तथा जप्त शुदा लाईसेन्सी बंदूक मय मूल लाईसेन्स के बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार अभियुक्त हरिसिंह को लौटाई जाने के आदेश है। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के अवलोकन से अपीलार्थी द्वारा अपील मे वर्णित तथ्यो की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यो का परीक्षण किये बिना तथा अपीलांट को समुचित सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय/आदेश कमांक/आर्म्स/2017/820–21 दिनांक 27.4.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाहबाद जिला बांरा को अपीलांट को विधिवत सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुये तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है। xx

6. निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0 सी0 वर्मा)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा